श्रम मंत्रालय

मांग संख्या 56

श्रम मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		128.58	891.24	1019.82	117.03	736.06	853.09	134.36	733.03	867.39
पूंजी		*6.06*	*...*	*6.06*	*5.51*	*...*	*5.51*	*14.23*	*...*	*14.23*
जोड़		**134.64**	**891.24**	**1025.88**	**122.54**	**736.06**	**858.60**	**148.59**	**733.03**	**881.62**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	12.37	12.37	...	12.37	12.37	...	13.00	13.00
श्रम और रोजगार										
श्रम										
2. अनुसंधान एवं सांख्यिकी	2230	7.50	3.62	11.12	7.08	3.62	10.70	...	3.80	3.80
3. औद्योगिक संबंध	2230	3.73	19.94	23.67	3.50	18.38	21.88	2.41	17.86	20.27
4. कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा	2230	3.70	23.83	27.53	3.50	23.00	26.50	6.48	24.50	30.98
5. श्रमिक कल्याण योजनाएं	2230	...	94.45	94.45	...	94.53	94.53	...	105.30	105.30
	3601	...	10.88	10.88	...	10.88	10.88	...	10.88	10.88
	4250	...	0.06	0.06	...	0.05	0.05	...	0.06	0.06
	6250	...	0.17	0.17	...	0.10	0.10	...	0.08	0.08
	जोड़	*...*	*105.56*	*105.56*	*...*	*105.56*	*105.56*	*...*	*116.32*	*116.32*
6. श्रम कल्याण निधियों को/से निवल अन्तरण										
6.01 बीड़ी कामगार कल्याण कोष										
को	2230	...	78.00	78.00	...	84.00	84.00	...	85.00	85.00
से	2230	...	-66.82	-66.82	...	-72.68	-72.68	...	-81.39	-81.39
	3601	...	-10.88	-10.88	...	-10.88	-10.88	...	-10.88	-10.88
	4250	...	-0.06	-0.06	...	-0.05	-0.05	...	-0.06	-0.06
	6250	...	-0.09	-0.09	...	-0.08	-0.08	...	-0.03	-0.03
	निवल	*...*	*0.15*	*0.15*	*...*	*0.31*	*0.31*	*...*	*-7.36*	*-7.36*
6.02 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष										
को	2230	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.80
से	2230	...	-1.94	-1.94	...	-1.77	-1.77	...	-1.77	-1.77
	6250	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*...*	*-0.14*	*-0.14*	*...*	*0.03*	*0.03*	*...*	*0.03*	*0.03*
6.03 लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण कोष										
को	2230	...	18.86	18.86	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
से	2230	...	-15.07	-15.07	...	-12.01	-12.01	...	-13.45	-13.45
	6250	...	-0.07	-0.07	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01
	निवल	*...*	*3.72*	*3.72*	*...*	*7.98*	*7.98*	*...*	*6.54*	*6.54*
6.04 चूनापत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण कोष										
को	2230	...	8.30	8.30	...	9.30	9.30	...	10.00	10.00
से	2230	...	-9.94	-9.94	...	-7.47	-7.47	...	-8.10	-8.10
	6250	...	-0.01	-0.01	...	-0.01	-0.01	...	-0.04	-0.04
	निवल	*...*	*-1.65*	*-1.65*	*...*	*1.82*	*1.82*	*...*	*1.86*	*1.86*
6.05 सिने कामगार कल्याण निधि										
को	2230	...	0.60	0.60	...	0.72	0.72	...	0.85	0.85
से	2230	...	-0.68	-0.68	...	-0.60	-0.60	...	-0.59	-0.59
	निवल	*...*	*-0.08*	*-0.08*	*...*	*0.12*	*0.12*	*...*	*0.26*	*0.26*
	जोड़	*...*	*2.00*	*2.00*	*...*	*10.26*	*10.26*	*...*	*1.33*	*1.33*
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा										
7. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	2230	...	650.00	650.00	...	485.00	485.00	...	480.00	480.00
8. असम में बागान कामगारो के लिए परिवार पेंशन एवं- जीवन बीमा योजना और असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा संबद्ध बीमा योजना	2230	...	10.48	10.48	...	11.14	11.14	...	10.92	10.92
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा		**...**	**660.48**	**660.48**	**...**	**496.14**	**496.14**	**...**	**490.92**	**490.92**

(करोड़ रुपए)

		बजट, 2001-2002			संशोधित, 2001-2002			बजट, 2002-2003		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
श्रमिक शिक्षा										
9. केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड	2230	3.66	13.70	17.36	3.40	16.50	19.90	7.00	13.70	20.70
10. राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान	2230	2.25	1.70	3.95	2.05	1.70	3.75	2.65	1.70	4.35
कुल-श्रम शिक्षा		**5.91**	**15.40**	**21.31**	**5.45**	**18.20**	**23.65**	**9.65**	**15.40**	**25.05**
11. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	2230	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	...	...	...
	3601	6.01	...	6.01	5.50	...	5.50	4.00	...	4.00
	जोड़	*6.03*	...	*6.03*	*5.52*	...	*5.52*	*4.00*	...	*4.00*
12. कृषि श्रमिको के लिए कल्याण योजना	2230	1.00	...	1.00	0.91	...	0.91	3.00	...	3.00
13. बाल/महिला श्रमिकों की कार्य- परिस्थिति में सुधार	2230	67.20	...	67.20	62.00	...	62.00	80.56	...	80.56
14. दुर्घटनाओं में मृत अन्तर्राज्यीय भारी वाहन चालकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति	3601	...	0.35	0.35	...	0.25	0.25	...	0.30	0.30
15. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	2230	...	3.25	3.25	...	4.29	4.29	...	4.30	4.30
16. अन्य मदें	2230	2.45	1.61	4.06	2.25	1.55	3.80	4.25	1.65	5.90
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*2.45*	*1.61*	*4.06*	*2.25*	*1.55*	*3.80*	*4.25*	*1.65*	*5.90*
जोड़-श्रम		**97.52**	**836.04**	**933.56**	**90.21**	**681.25**	**771.46**	**110.35**	**676.38**	**786.73**
रोजगार और प्रशिक्षण										
17. रोजगार	2230	2.06	16.61	18.67	0.92	16.37	17.29	...	16.50	16.50
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*2.06*	*16.61*	*18.67*	*0.92*	*16.37*	*17.29*	...	*16.50*	*16.50*
18. प्रशिक्षण	2230	19.35	24.42	43.77	18.11	24.14	42.25	11.78	24.80	36.58
	3601	1.50	...	1.50	0.57	...	0.57	1.00	...	1.00
	3602	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़-प्रशिक्षण		**20.86**	**24.42**	**45.28**	**18.68**	**24.14**	**42.82**	**12.78**	**24.80**	**37.58**
जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण		**22.92**	**41.03**	**63.95**	**19.60**	**40.51**	**60.11**	**12.78**	**41.30**	**54.08**
जोड़-श्रम और रोजगार		**120.44**	**877.07**	**997.51**	**109.81**	**721.76**	**831.57**	**123.13**	**717.68**	**840.81**
19. निर्देशन और प्रशासन	2230	...	...	...	...	...	...	2.23	...	2.23
20. दसवीं योजना में कौशल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास तथा बाल	2230	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
श्रम उन्मूलन के लिए पहल	3601	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*4.00*	...	*4.00*
21. डी.जी.एल.बी., सी.एल.सी. तथा डी.जी.ई.टी. के अंतर्गत योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2230	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
22. अनु.जा.,अनु. जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	0.89	1.80	2.69	0.60	1.93	2.53	1.23	2.35	3.58
23. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	...	0.47	0.47	...	0.22	0.22	...	0.19	0.19
घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	3606	...	-0.47	-0.47	...	-0.22	-0.22	...	-0.19	-0.19
सहायता सामग्री और उपस्कर	*निवल*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24. उ.पश्चि. क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए	2552	7.25	...	7.25	6.62	...	6.62	2.77	...	2.77
एकमुश्त व्यवस्था	4552	6.06	...	6.06	5.51	...	5.51	14.23	...	14.23
	जोड़	*13.31*	...	*13.31*	*12.13*	...	*12.13*	*17.00*	...	*17.00*
कुल-जोड़		***134.64***	***891.24***	***1025.88***	***122.54***	***736.06***	***858.60***	***148.59***	***733.03***	***881.62***
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. श्रम और रोजगार	22230	130.80	...	130.80	118.87	...	118.87	151.77	...	151.77
2. अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	0.89	...	0.89	0.60	...	0.60	1.23	...	1.23
3. उ.पू. क्षेत्र के लिए पूंजी व्यय	22552	13.31	...	13.31	12.13	...	12.13	17.00	...	17.00
	जोड़	*145.00*	...	*145.00*	*131.60*	...	*131.60*	*170.00*	...	*170.00*

*शहरी विकास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय के कार्य परिव्यय को शामिलकर।

मांग संख्या 82	2.60	...	2.60	1.30	...	1.30	5.60	...	5.60
मांग संख्या 83	7.76	...	7.76	7.76	...	7.76	15.81	...	15.81
जोड़	**10.36**	**...**	**10.36**	**9.06**	**...**	**9.06**	**21.41**	**...**	**21.41**

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं** - इसके अन्तर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **अनुसंधान एवं सांख्यिकी** - इसके अन्तर्गत श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं उनका प्रकाशन, जांच पड़ताल करने, सर्वेक्षण करने और अनुसंधान विषयक अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है।

3. **औद्योगिक संबंध** - इसके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सद्भावपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुधारने, श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वयन का शीघ्र मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिये काम की अन्य शर्तों व मजदूरी को नियमित करने के संबंध में निर्धारित आचार संहिता वाले समझौते, पंचाटों, श्रम कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने से संबंधित खर्च।

4. **कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा** - इसके अंतर्गत फैक्टरी सलाह सेवा महानिदेशालय और श्रमिक संस्थाओं के लिए व्यवस्था है जो गोदी कामगारों और फैक्टरी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय के लिए भी व्यवस्था की गई है जो कि कोयला तथा कोयला-भिन्न खानों और तेल क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है।

5. **श्रमिक कल्याण योजनाएं** - इसके अन्तर्गत बीड़ी कामगारों, अभ्रक खानों, लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (कोयला खान के कामगारों को छोड़कर) चूने और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिनेमा कामगार कल्याण योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया है। खर्च को संबंधित श्रम कल्याण अधिनियमों के तहत लगाए गए और वसूल किए गए उपकरों से पूरा किया जाता है, जिन्हें सरकारी खाते की आरक्षित निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

6. **श्रम कल्याण निधियों को / से निवल अंतरण** - यह विभिन्न कल्याण निधियों को उप-करों की अंतरित राशि और श्रम कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि की पूर्ति इन निधियों से की जाएगी।

7. **कर्मचारी पेंशन योजना 1995** - इस नई स्कीम के अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों के परिवारों हेतु पेंशन और जीवन बीमा के लाभों के लिए प्रावधान है। इसमें नई स्कीम के लिए सरकार के अंशदान के लिए प्रावधान है।

8. **असम में बागान कामगारों के लिए कर्मचारी परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना** - यह योजना असम राज्य सरकार के माध्यम से असम के उन बागान कामगारों के लिए प्रशासित की जाती है जो असम चाय बागान भविष्य निधि द्वारा नियमित किए जाते हैं और इन पर परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा अधिनियम असम सरकार द्वारा लागू किया जाता है। इस प्रावधान में योजना के लिए केन्द्र सरकार के योगदान और प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है।

9. **केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड** - भारत सरकार द्वारा वर्ष 1958 में एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में स्थापित केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड वर्ष 1957 में आयोजित पन्द्रहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए कर्मचारियों की शिक्षा संबंधी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाता है।

10. **राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान** - 1972 में स्थापित वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण, परामर्श, प्रकाशन आदि सहित अनुसंधान का कार्य करता है।

11. **बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास** - यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जो कि राज्यों /स्वैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ मजदूरों पुनर्वास से संबंधित उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए है।

12. यह इस वर्ष से प्रारम्भ की गयी एक नयी योजना है। इसका उद्देश्य खेतिहर-श्रमिकों का कल्याण करना है।

13. **बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार लाना** - इसके अन्तर्गत बाल/महिला श्रमिकों के कल्याण से संबन्धित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था की गई है।

14. **भारी वाहन चलाने वाले अंतर्राज्जीय ड्राइवरों, जोकि दुर्घटनाओं में मारे गये, के परिवारों को मुआवजाः** इसमें भारी वाहनों को चलाने वाले, सामान तथा यात्रियों को ले जाने वाले ड्राइवरों, जोकि दुर्घटनाओं में मारे गये, के परिवारों और आश्रितों को मुआवजा देने के लिए व्यवस्था की गई है।

15. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** - अन्तराष्ट्रीय सहयोग के कार्यो में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ को वार्षिक चंदे की अदायगी करना और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय तथा रोजगार संवर्द्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल को आवास तथा आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि जुटाना शामिल है।

16. **अन्य मदें**- (1) इसमें मंत्रालय में कार्यकुशलता में और सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था शामिल है।

(2) अप्रवासी श्रमिकों का कल्याण - विदेशों में रोजगार की भर्ती को विनियमित करने, कार्य और रहन-सहन सम्बन्धी उचित परिस्थितियां सुनिश्चित करने तथा भर्ती करने वाले एजेंटों के अनाचारों पर रोक लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करना।

(3) प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना और युद्ध में घायल कर्मचारियों तथा नागरिकों को पेंशन/मुआवजे की अदायगी।

(4) अनुसंधान/शैक्षिक संस्थाओं को सहायता-अनुदान।

17. **रोजगार** - इस योजना में मुख्य रूप से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, व्यावसायिक मार्ग दर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, शिक्षा एंव मागदर्शन केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्रेणियों को रोजगार संबंधी सहायता, अपंगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा रोजगार सेवाओं में अनुसंधान एंव प्रशिक्षण शामिल हैं।

18. **प्रशिक्षणः** इसमें निम्नलिखित योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है।

1. उपस्कर आधुनिकीकरण स्कीम - इस स्कीम का उद्देश्य उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए व्यवसायों को लागू करके विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करना है। इस स्कीम को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में वित्तपोषण के 50 : 50 के पैटर्न पर कार्यान्वित किया जाना है।

2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों नें नए व्यवसाय - इस स्कीम का उद्देश्य उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए व्यवसायों को लागू करके विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करना है। इस स्कीम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में वित्तपोषण के 50 : 50 के पैटर्न पर कार्यान्वित किया जाएगा।

3. महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/स्कन्ध - इस स्कीम में चरण बद्ध तरीके से विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/स्कन्ध स्थापित करने की कल्पना की गई है। इस स्कीम को 50 : 50 के वित्तपोषण के पैटर्न पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. उच्च प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण - इस स्कीम का उद्देश्य परिचालन और अनुरक्षण, दोनों ही क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी के लिए कर्मचारियों की नई पीढ़ी को विकसित करना है। यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है।

5. अन्य स्कीमें - इसमें रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिए उत्तरदायी भारत के एक शीर्ष संगठन रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक के लिए व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा रोजगार और प्रशिक्षण से संबंधित अनेक छोटी-छोटी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

19. **निर्देशन और प्रशासनः** इस योजना में "निर्देशन और प्रशासन" बजट के अंतर्गत सम्पूर्ण मंत्रालय के विभिन्न कोष्ठो/इकाईयों के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुवीक्षण, क्रियान्वयन तथा अभिकल्प के विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए कार्मिकों के नियोजन की व्यवस्था हैं।

20. **दसवीं योजना के दौरान कार्य कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन बाल श्रम उन्मूलन के लिए पहलः** इसके अंतर्गत सरकार स्वयं एवं निजी क्षेत्रक को सक्रिय भागीदारी से व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित क्रिया कलाप चालयेगीः (i) कार्यबल का कार्य-कौशल बढ़ाना (ii) आईटीआई का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन (iii) श्रम बाजार सूचना कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण (iv) शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर महिला प्रशिक्षण को सुदृढ़ करना (v) खान सुरक्षा सह-निदेशक त्त्के कार्यलय का आधुनिकिकरण (vi) श्रमिक सांख्यिकी प्रणाली सुधार और (vii) बाल श्रम उन्मूलन आदि पर भारत अमरीका सहयोग।

21. यह एकमुश्त प्रावधना डी.जी.एम.बी., सी.एल.सी. तथा डी.जी.ई.टी. के अंतर्गत योजनाओं के लिए है।

22. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण** - इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों में आत्मविश्वास पैदा करने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इन वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र शामिल हैं। ये शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और अभिकरणों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करते हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अ. जा./अ. ज. जा. के उम्मीदवारों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करने की एक दूसरी योजना भी कुछ शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों में आरम्भ की गई है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अ. जा./ अ. ज. जा. के अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

23. **सहायता सामग्री और उपस्कर** - इसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए जर्मनी की सरकार से सहायता की व्यवस्था है (i) केन्द्रीय सूचना माध्यम संस्थान, चेन्नई और (ii) फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, जो जर्मनी की सरकार की सहायता से क्रमशः 1986 और 1971 में स्थापित हुई थीं। चेन्नई के अग्रेत्तर प्रशिक्षण संस्थान में संख्यात्मक नियंत्रक/कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण प्रशिक्षण सविधाओं की स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता और जनसंख्या क्रियाकलापों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक पाठ्यक्रम अध्ययन के एक अनिवार्य भाग के रूप में जनसंख्या शिक्षा को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि से सहायता भी इसमें शामिल हैं।

24. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए है।